राजस्व अपील संख्या 11/2023

अनवान

खेताराम बनाम राज0 राज्य

दिनांक 18-01-2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट, जिला जोधपुर के द्वारा ग्राम देणोक तहसील आउमें मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने बाबत प्रकरण कमांक/प्र0ग0सं/2021/681-684 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 17.12.2021 के कम मे उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर तहसीलदार आउ उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच कर, मौका फर्द तैयार करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, लोहावट उक्तानुसार तैयार मौका फर्द व उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर